(5)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–अर्पिता सोनी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 16/2019 दायरादिनांक: 02.04.2019

GCMS NO- 2019/00035

शंकर लाल पुत्र श्री चेतनराम जाति कुम्हार साकिन चक 2 जी.बी.एम. (हरिसिंहपुरा) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

......प्रार्थी

बनाम

1. मुखराम } पुत्रगण जैसाराम जाति कुम्हार सा. चक 2 जी.बी.एम. (हरिसिंहपुरा) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. हरीराम
3. पुष्पादेवी पुत्री जैसाराम पत्नी गोविन्दराम जाति कुम्हार साकिन वार्ड नं. 7 गैरा एजेन्सी गोदाम के पास सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. प्रेमराज पुत्र पुत्र जैसाराम जाति कुम्हार सा. चक 2 जी.बी.एम. (हरिसिंहपुरा) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. रूकमा पुत्र जैसाराम जाति कुम्हार साकिन चक 22 जी.बी. (रघुनाथपुरा) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. कृष्णलाल } पुत्र जैसाराम जाति कुम्हार सा. चक 2 जी.बी.एम. (हरिसिंहपुरा) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
7. इमीचंद
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

.......अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम 1954

उपस्थित :–

1. श्री शीशपाल शर्मा, धर्मपाल सिहाग अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार राज

:: निर्णय :: दिनांकः–25.10.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने यह शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी न. 1 ता 7 के पिता जैसाराम पुत्र मालू कौम कुम्हार के नाम से चक 7 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 45 के प.नं. 37/22(34) के किला नं. 16 ता 18, 21 ता 25 में 2.024 है0 व प.न. 37/23(45) के किलानं. 1 ता 5, 9 10 में 1.657 है0 व प.नं. 37/15 (46) के किला नं. 3 ता 9 12 ता 15, 17, 18 में 2.834 है0 कुल 6.515 है0 खातेदारी भूमिमें 1/3 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है व इसी चक 7 एम.सी. के पं.नं. 37/14(33) के किलानं. 24/0.240, 25/0.253= 0.493 है0 व प.नं. 37/22(34) के किलानं. 19–20/0.506 है0 कुल 0.999 है0 कमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।अप्रार्थीगण के पिता जैसा वल्द मालू ने चक 7 एम.सी. के पं.नं. 37/14(33) के किला नं. 24/0.240, 25/0.253= 0.493 है0 व प.नं. 37/22(34) के किला नं. 19–20/0.506 है0 कुल 0.999 है0 कमाण्ड कृषि भूमि बिना आवंटन हुये राजकीय कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर जमाबंदी में अपने नाम दर्ज करवा ली।उक्त रकबा प्रार्थी के पिता चेतनराम पुत्र लिछमणराम को आवंटित था।प्रार्थी के पिता ने [illegible] व कब्जा काश्त आज भी प्रार्थी का चला आ रहा हैं।प्रार्थी के पिता का न[illegible] आदेश के जमाबंदी से हटवाकर अप्रार्थीगण के पिता द्वारा जैर [illegible] 37/14(33) के किला नं. 24/0.240, 25/0.253= 0.493 है0 [illegible] 37/22(34) के [illegible] 19–20/0.506 है0 कुल 0.999 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:15:05 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

अपने नाम दर्ज करवा ली जो अवैधानिक रूप से दर्ज होने से काबिल खारिज है।अत: प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के पिता जैसा वल्द मालू के नाम चक 7 एम.सी. के प.न. 37/14(33) के किला नं. 24/0.240, 25/0.253= 0.493 है0 व प.नं. 37/22(34) के किला नं. 19–20/0.506 है0 कुल 0.999 है0 कमाण्ड कृषि भूमि को खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जा कर तहसील से रिपोर्ट मंगवायी जाकर शामिल पत्रावली की गयी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1,2,4,6 व 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 5 बाद बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मपाल सिहाग उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी संख्या 08 पैरोकार राज हाजिर आये।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस शिकायत प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता जैसा वल्द मालू ने चक 7 एम.सी. के प.न. 37/14(33) के किला नं. 24/0.240, 25/0.253= 0.493 है0 व प.नं. 37/22(34) के किला नं. 19–20/0.506 है0 कुल 0.999 है0 कमाण्ड कृषि भूमि बिना आवंटन हुये राजकीय कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर जमाबंदी में अपने नाम दर्ज करवाली। उक्त रकबा प्रार्थी के पिता चेतन राम पुत्र लिछमण राम को आवंटित था। प्रार्थी के पिता ने उक्त रकबा की किस्तें भी जमा करवाई है व कब्जा काश्त आज भी प्रार्थी का चला आ रहा हैं। प्रार्थी के पिता का नाम बिना किसी आदेश के जमाबंदी से हटवाकर अप्रार्थीगण के पिता द्वारा जैर प्रकरण भूमि चक 7 एम.सी. के प.नं. 37/14(33) के किला नं. 24/0.240, 25/0.253= 0.493 है0 व प.नं. 37/22(34) के किला नं. 19–20/0.506 है0 कुल 0.999 है0 अपने नाम दर्ज करवा ली जो अवैधानिक रूप से दर्ज होने से काबिल खारिज है।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में राज्य हित निहित है, अतः राज्य हित को ध्यान में रख कर निर्णय पारित किया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर गहनता से चिंतन, मनन किया व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। तहसीलदार सूरतगढ़ की रिपोर्ट क्रमांक 1258 दिनांक 16.10.19 में यह स्पष्ट अंकित नहीं किया गया है कि चक 7 एम.सी. के प.नं. 37/14(33) के किला नं. 24/0.240, 25/0.253= 0.493 है0 व प.नं. 37/22(34) के किला नं. 19–20/0.506 है0 कुल 0.999 है0 भूमि जैसा वल्द मालू को किस आदेश से आवंटन हुई है, केवल जमाबंदी में जैसा वल्द मालू कौम कुम्हार साकिन हरिसिंहपुरा गैर खातेदार दर्ज है जबकि सहायक उपनिवेशन अधिकारी, सूरतगढ़ द्वारा आवंटन आदेश 56/27/8/73 दिनांक 26.10.1975 द्वारा उक्त रकबा चेतनराम पुत्र लिछमणराम को आवंटित किया गया था व आज भी कब्जा काश्त चेतनराम के वारिसों का है। अतः प्रकरण दोहरा आवंटन अथवा जमाबंदी दुरूस्ती का प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार राज पैरोकार को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जांच कर नियमानुसार सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करे। हस्तगत शिकायत प्रार्थना–पत्र निराधार व सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 सार हीन होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय की प्रति पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2024.01.23 17:15:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner